

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/ 376

दिनांक : 28.01.2025

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जिला प्रमुख/उपप्रमुख एवं प्रधान/उपप्रधान के लिए जारी अधिसूचना संख्या प. 4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/1913 दिनांक 25.05.2023 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता हूँ अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी :-

सारणी-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A-राष्ट्रीय दल		
1.	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
6.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B - राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल
2.	भारत आदिवासी पार्टी	हॉकी और बॉल

आदेश से,

(नलिनी कठोतिया)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

क्रमांक: प.4(5)(1)पंचा/रानिआ/19/ 377-383

दिनांक : 28.01.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर), राजस्थान।
- समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
- अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं राजपत्र के भाग 6(ग) में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने हेतु।
- स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था कर उन्हें संबंधित मुद्रणालयों को आपूर्ति करने हेतु।

(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव